रजि.नं.–COOP/2021/JAIPUR/202861

ALL ROYAL CITY VIKAS SAMITI

पता– फ्लेट नंबर– एफ 3, प्लॉट नंबर सी–83, रॉयल सिटी, मॉचवा, जयपुर

क्रमांक　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक–30.09.2023

दिनांक 30.09.2023 को विधान में किये गये संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा	पंजीकृत विधान के अनुसार वर्तमान नियम	विधान में संशोधन किया गया नया नियम
धारा	**ALL ROYAL CITY VIKAS SAMITI विधान** 1. **संस्था का नाम** :– इस संस्था का नाम **ALL ROYAL CITY VIKAS SAMITI** है व रहेगा। 2. **संस्था का पंजीकृत कार्यालय** :–इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय– फ्लेट नंबर एफ–3, प्लॉट नं. सी–83, रॉयल सिटी, मॉचवा, कालवाड रोड, जयपुर है। इसका कार्यक्षेत्र जयपुर तक सीमित होगा। 3. **संस्था के उद्देश्य**:– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:– 1. कॉलोनी विकास की मूलभूत सेवाओं जैसे पानी, बिजली, भूमि, पार्किंग, सामुदायिक स्थल, पार्क, गार्डन रास्ते डिर्नेज ग्रीन बेल्ट भूमि तथा अन्य समस्त सार्वजनिक सेवाओं को व्यय करना ओर उनके प्रबंधन कियान्वयन एवं संचालन में सहयोग करना। 2. कॉलोनी विकास के कार्यो हेतु संबंधित विभागों से अवगत करना तथा उनके कियान्वयन व संचालन हेतु उचित कार्यवाही कराने का प्रयास करना। 3. सरकार द्वारा जारी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं/कार्यकमों का प्रसार करना उक्त योजनाओं के	**ALL ROYAL CITY VIKAS SAMITI विधान** 1. **संस्था का नाम** :– इस संस्था का नाम **ALL ROYAL CITY VIKAS SAMITI** है व रहेगा। 2. **संस्था का पंजीकृत कार्यालय** :–इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय– फ्लेट नंबर एफ–3, प्लॉट नं. सी–83, रॉयल सिटी, मॉचवा, कालवाड रोड, जयपुर है। इसका कार्यक्षेत्र जयपुर तक सीमित होगा। 3. **संस्था के उद्देश्य**:– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:– 1. कॉलोनी विकास की मूलभूत सेवाओं जैसे पानी, बिजली, भूमि, पार्किंग, सामुदायिक स्थल, पार्क, गार्डन रास्ते डिर्नेज ग्रीन बेल्ट भूमि तथा अन्य समस्त सार्वजनिक सेवाओं को व्यय करना ओर उनके प्रबंधन कियान्वयन एवं संचालन में सहयोग करना। 2. कॉलोनी विकास के कार्यो हेतु संबंधित विभागों से अवगत करना तथा उनके कियान्वयन व संचालन हेतु उचित कार्यवाही कराने का प्रयास करना। 3. सरकार द्वारा जारी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं/कार्यकमों का प्रसार करना उक्त योजनाओं के लिए लोगों को जागृत व लाभांवित करना या उक्त योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक प्रबंध व सहयोग करना। 4. कोलोनी में वृक्षारोपण करना पेड पौधों का रख

अध्यक्ष　　　　सचिव　　　　कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 11:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

रजि.नं.–COOP/2021/JAIPUR/202861

ALL ROYAL CITY VIKAS SAMITI

पता– फ्लेट नंबर– एफ 3, प्लॉट नंबर सी–83, रॉयल सिटी, मॉचवा, जयपुर

	लिए लोगों को जागृत व लाभांवित करना या उक्त योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक प्रबंध व सहयोग करना। 4. कोलोनी में वृक्षारोपण करना पेड पौधों का रख रखाव व संरक्षण करना अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकना तथा योजना की भूमि अतिकमण मुक्त रखने संबंधी कार्य का कियान्वयन व संपादन करना। 5. धार्मिक सम्मेलन अनुस्ठान सम्मेलन योग शिविर सांस्कृतिक कार्यकम आउट डोर व इनडोर खेल प्रतियोगिता इत्यादि कार्यकमों का आयोजन कराना तथा प्रबंधन व संचालन हेतु सहयोग करना एवं उचित व्यवस्था करना। 6. कॉलोनी की संपूर्ण प्रकार की सुरक्षा एवं संरक्षा की व्यवस्था करना ओर इस कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाही करना। 7. कोलोनी की विभिन्न सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के दुरूपयोग की रोकथाम करना तथा असंवैधानिक कार्य दुर्व्यवहार भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करना इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी करना तथा प्रभावी कार्यवाही निष्पादित करवाना। 8. धार्मिक व सामाजिक कार्य पर्व त्योहार सम्मेलन इत्यादि का आयोजन कराना तथा इनके प्रबंधन कियान्वयन व संचालन की व्यवस्था में सहयोग करना। 9. पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों के कियान्वयन एवं संचालन में सहयोग करना। 10. असहाय गंभीर बिमार निःशक्तजन निर्धन इत्यादि लोगों की सहायता हेतु	रखाव व संरक्षण करना अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकना तथा योजना की भूमि अतिकमण मुक्त रखने संबंधी कार्य का कियान्वयन व संपादन करना। 5. धार्मिक सम्मेलन अनुस्ठान सम्मेलन योग शिविर सांस्कृतिक कार्यकम आउट डोर व इनडोर खेल प्रतियोगिता इत्यादि कार्यकमों का आयोजन कराना तथा प्रबंधन व संचालन हेतु सहयोग करना एवं उचित व्यवस्था करना। 6. कॉलोनी की संपूर्ण प्रकार की सुरक्षा एवं संरक्षा की व्यवस्था करना ओर इस कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाही करना। 7. कोलोनी की विभिन्न सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के दुरूपयोग की रोकथाम करना तथा असंवैधानिक कार्य दुर्व्यवहार भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करना इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी करना तथा प्रभावी कार्यवाही निष्पादित करवाना। 8. धार्मिक व सामाजिक कार्य पर्व त्योहार सम्मेलन इत्यादि का आयोजन कराना तथा इनके प्रबंधन कियान्वयन व संचालन की व्यवस्था में सहयोग करना। 9. पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों के कियान्वयन एवं संचालन में सहयोग करना। 10. असहाय गंभीर बिमार निःशक्तजन निर्धन इत्यादि लोगों की सहायता हेतु आवश्यक प्रबंध करना। 11. कोलोनी रहवासियों में परस्पर प्रेम सहयोग व शांति से रहने की भावना जागृत करना ओर उस दिशा में अन्य ठोस प्रसार करने हेतु कदम उठाना। 12. संस्था के उदेश्यों की पूर्ति हेतु शुल्क चन्दा दान अनुदान राजकीय अनुदान के रूप में धन संपत्ति अर्जित कर उपयुक्त उदेश्यों की पूर्ति में खर्च करना। 13. अन्य वे समस्त कार्यों का संचालन व निष्पादन

अध्यक्ष Lajpat Sharma सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 1?:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

आवश्यक प्रबंध करना।

11. कोलोनी रहवासियों में परस्पर प्रेम सहयोग व शांति से रहने की भावना जागृत करना ओर उस दिशा में अन्य ठोस प्रसार करने हेतु कदम उठाना।

12. संस्था के उदेश्यों की पूर्ति हेतु शुल्क चन्दा दान अनुदान राजकीय अनुदान के रूप में धन संपत्ति अर्जित कर उपयुक्त उदेश्यों की पूर्ति में खर्च करना।

13. अन्य वे समस्त कार्यों का संचालन व निष्पादन करना जो उपयुक्त उदेश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो तथा संस्था व सदस्यों के हित में हो।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

4. **सदस्यता** :– निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–

1.संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो।

2.बालिग हो।

3.पागल व दीवालिया न हो।

4.संस्था के उद्देश्यों में आस्था, रूचि रखते हो।

5.संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5. **सदस्यों का वर्गीकरण** :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार से वर्गीकृत होंगे–

1 संरक्षक 2 विशिष्ठ 3

करना जो उपयुक्त उदेश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो तथा संस्था व सदस्यों के हित में हो।

14. समिति द्वारा कॉलोनी में निर्माण कार्य कर रही प्लॉटधारी/बिल्डर्स से शुल्क लेने का अधिकार होगा जो प्रति गज के हिसाब से होगा। जो नीचे उल्लेख किया गया है–

1. 100 गज तक निर्माण कार्य 11000/रुपये।
2. 101 गज से 250 गज निर्माण कार्य 21000/रुपये।
3. 251 गज से 500 गज निर्माण कार्य 31,000/रुपये।
4. 501 गज से 1000 गज निर्माण कार्य 51,000/रुपये।

15. कॉलोनी में जो भी निर्माण कार्य किया जायेगा उसमें विकास समिति बिना अनुमति अनिवार्य होगी और अगर कोई भी बिल्डर्स उक्त प्लॉटधारी अपनी मनमर्जी से बिना निर्माण कार्य शुल्क दिये कार्य प्रारंभ करेंगे तो समिति के सदस्य उनके साथ बातचीत करेंगे कि वह बिना अनुमति निर्माण कार्य कैसे कर रही है। फिर भी वो अगर नही मानेंगे तो विकास समिति उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने को बाध्य रहेगी।

16. विकास समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव किसी भी प्रकार के कानूनी कार्यवाही में जिम्मेवार होंगे तथा सभी कानूनी कागजों में जो पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे जो कॉलोनी के हित में होगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

4. **सदस्यता** :– निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति

अध्यक्ष Lajpat Sharma
सचिव
Kumar
कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 11:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

सम्माननीय 4 साधारण।

6. **सदस्यों द्वारा प्रदत शुल्क** :– उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा–

1. संरक्षक राशि नियमानुसार वार्षिक / आजन्म
2. विशिष्ठ राशि नियमानुसार वार्षिक / आजन्म
3. सम्माननीय राशि नियमानुसार वार्षिक / आजन्म
4. साधारण राशि नियमानुसार वार्षिक / आजन्म

उक्त राशि का एक मुश्त अथवा नियमानुसार की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. **सदस्यता से निष्कासन** :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–

1. मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र देने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर –अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का

संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो।
2. बालिग हो।
3. पागल व दीवालिया न हो।
4. संस्था के उद्देश्यों में आस्था, रूचि रखते हो।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5. **सदस्यों का वर्गीकरण** :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार से वर्गीकृत होंगे–

1 संरक्षक 2 विशिष्ठ 3 सम्माननीय 4 साधारण।

6. **सदस्यों द्वारा प्रदत शुल्क** :– उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा–

1. संरक्षक राशि नियमानुसार वार्षिक / आजन्म
2. विशिष्ठ राशि नियमानुसार वार्षिक / आजन्म
3. सम्माननीय राशि नियमानुसार वार्षिक / आजन्म
4. साधारण राशि नियमानुसार वार्षिक / आजन्म

उक्त राशि का एक मुश्त अथवा नियमानुसार की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. **सदस्यता से निष्कासन** :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–

1. मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र देने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 11:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

निर्णय अंतिम होगा।

8. संस्था के उपनियम सं. 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य**:– साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न होंगे:–

1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबंध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

10. **साधारण सभा की बैठकें** :–

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 (एक तिहाई) होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित

पर।

4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।
5. विकास समिति के कोई भी सदस्य समिति के बिना अनुमति से किसी सामाजिक, राजनीतिक, प्रकिया में भागीदार होता है जो कि विकास समिति के विधान के खिलाफ है तो विकास समिति उनकों बिना सूचना निष्कासित कर सकती है।
6. विकास समिति का कोई भी सदस्य बिना शुल्क मासिक मिटिंग में लगातार तीन बार अनुपस्थित होगा तो विकास समिति द्वारा उनकी सदस्यता रदद करने का पूरा अधिकार होगा।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर –अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

8. संस्था के उपनियम सं. 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य**:– साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न होंगे:–

1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबंध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्धन

Lajpat Sharma

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 11:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डा में थे।

5. संस्था के 1/3 (एक तिहाई) अथवा 15 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. **कार्यकारिणी का गठन** :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया गया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे

1. अध्यक्ष एक
2. उपाध्यक्ष एक
3. मंत्री एक
4. कोषाध्यक्ष एक
5. सदस्य चार।

इस प्रकार प्रबंध कारिणी में 04 पदाधिकारी व 04 सदस्य कुल 08 सदस्य होंगे।

12. **कार्यकारिणी का निर्वाचन** :–

1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।

10. **साधारण सभा की बैठकें** :–

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 (एक तिहाई) होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 (एक तिहाई) अथवा 15 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. **कार्यकारिणी का गठन** :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया गया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे

अध्यक्ष Lajpat Sharma सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 11:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

	02 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी। 13. **कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य** :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे– 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की संपति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वित करना। 6. कार्यव्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना। 14. **कार्यकारिणी की बैठके** :– 1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की	1. अध्यक्ष एक 2. सचिव एक 3. कोषाध्यक्ष एक 4. उपाध्यक्ष एक 5. सहायक सचिव एक 6. कोषाध्यक्ष एक 7. सलाहकार एक 8. संरक्षक एक 9. सदस्य सात। इस प्रकार प्रबंध कारिणी में 08 पदाधिकारी व 07 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे। 12. **कार्यकारिणी का निर्वाचन** :– 1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 03 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी। 13. **कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य** :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे– 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की संपति की सुरक्षा करना।

अध्यक्ष   Lajpat Sharma सचिव   Kumar कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 1?:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

1 अध्यक्ष :–

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठके आहुत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2 उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठके आहुत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविधा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

3 मंत्री:–

1. बैठकें आहुत करना।

4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वित करना।
6. कार्यव्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठके :–

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

1 अध्यक्ष :–

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठके आहुत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

अध्यक्ष   Lajpat Sharma सचिव   Kumar कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 17:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

2. कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना।
3. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना उसके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना।

4 उपमंत्री :–

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

5 कोषाध्यक्ष :–

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. **संस्था का कोष** : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1 चंदा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान

2 उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठके आहुत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविधा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

3 मंत्री:–

1. बैठकें आहुत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना।
3. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना उसके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना।

4 उपमंत्री :–

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

अध्यक्ष   Lajpat Sharma सचिव   Kumar कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 1?:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

1. उक्त प्रकार से संचित राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सुरक्षित की जावेगी।
2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. **कोष संबंधित विशेषाधिकार** :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि संस्था एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें।

1. **अध्यक्ष – नियमानुसार**
2. **मंत्री – नियमानुसार**
3. **कोषाध्यक्ष– नियमानुसार**

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. **संस्था का अंकेक्षण** :– संस्था के समस्त लेखों – जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थायें को प्रस्तुत करने होंगे।

19. **संस्था के विधान में परिवर्तन परिवर्द्धन** :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

5 **कोषाध्यक्ष** :–
1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. **संस्था का कोष** : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1 चंदा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सुरक्षित की जावेगी।
2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. **कोष संबंधित विशेषाधिकार** :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि संस्था एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें।

1. **अध्यक्ष – नियमानुसार**
2. **मंत्री – नियमानुसार**
3. **कोषाध्यक्ष– नियमानुसार**

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. **संस्था का अंकेक्षण** :– संस्था के समस्त लेखों – जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थायें को प्रस्तुत

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 1?:19:01 IST
Reason: Approved
Location:

	1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा। 20. **संस्था का विघटन** :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल संपति समान उदेश्य वाली संस्था संस्था को हस्तातंरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थायें को पंजीयन रदद करने का पूर्ण अधिकार होगा। 21. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण** :– रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान **ऑल रॉयल सिटी विकास समिति मॉचडा कालवाड रोड** जयपुर की सही व सच्ची प्रति है।	करने होंगे। 19. **संस्था के विधान में परिवर्तन परिवर्द्धन** :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा। 20. **संस्था का विघटन** :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल संपति समान उदेश्य वाली संस्था संस्था को हस्तातंरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थायें को पंजीयन रदद करने का पूर्ण अधिकार होगा। 21. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण** :– रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान **ऑल रॉयल सिटी विकास समिति मॉचडा कालवाड रोड** जयपुर की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.11.28 11:19:01 IST
Reason: Approved
Location: